फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती केसरकुंवर | विपक्षी : श्रीमती प्रतापकुंवर

किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 327 / 11

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 02.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का जवाब पेश किया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किये जाने से साक्ष्य वादी का अवसर पुनः खोले जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा धारा 151 जा.दी. के तहत् साक्ष्य का अवसर खुलवाये जाने का कोई प्रोविजन नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का खारिज किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली दिनांक 09.01.2020 को साक्ष्य वादी में नियत थी। तत्पश्चात् अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 01.04.2021 को साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री जगतसिंह का पेश किया। पत्रावली में लगातार दिनांक 25.05.2021, दिनांक 06.07.2021, दिनांक 31.08.2021, दिनांक 12.10.2021, दिनांक 24.12.2021, दिनांक 25.01.2022, दिनांक 19.04.2022, दिनांक 02.08.2022, दिनांक 13.09.2022, दिनांक 27.09.2022, दिनांक 25.11.2022, दिनांक 06.01.2023 को पेशियां नियत की गई थी परन्तु साक्ष्य वादी गवाह न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहा, जिसके कारण दिनांक 06.01.2023 को साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी का अवसर बन्द होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था, परन्तु वादी द्वारा इतने अवसर मिलने के बाद भी गवाह उपस्थित नहीं रखे। वादी को अपने वाद के प्रति सजग रहना चाहिए। वादी का यह दायित्व है कि उसे वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क बनाये रखकर वाद में कार्यवाही एवं पेशी की जानकारी लेनी चाहिए। वादी के अधिवक्ता एवं वादी दोनों द्वारा घोर लापरवाही बरती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 05.04.2024 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

05/04/24
पत्रावली पेश ... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग-जुलाब में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21/6/24 ....को पेश हो

21/6/24
वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. साक्ष्य प्रतिवादी के लिये मौका चाहते है। अत: एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/7/24 को पेश हो'

SDO मावली

19/7/24
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. साक्ष्य प्रतिवादी के लिये मौका चाहते है। अत: अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 04/10/24 को पेश हो।

(SDO) मावली

4/10/24
पत्रावली पेश ... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो.आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 22/11/24 ....को पेश हो

22/11/24
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब तक अनुपस्थित है। अत: अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली